संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

कमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2012/ 445-C भोपाल, दिनांक 31/3/2012

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 26.08.2011 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर निम्नलिखित परिभ्रमण में रहे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर वेतनमान रूपये (5200–20200+ग्रेड पे 2800) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रिक्त पद पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता हैं :–

क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	कु. एस.एन. शेख	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा
2	श्री जगदीश खेडेकर अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी
3	श्री भग्गा भाई राठौर अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर
4	श्री दलवीर सिंह अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरोली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर
5	श्रीमती किरण शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड
6	श्री एस.एन. पालीवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी
7	श्री किशनलाल प्रजापति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर
8	श्रीमती मधु मिश्रा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल
9	श्री रोहित डोंगरे अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह
10	श्रीमती उर्मिला वघेल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला
11	श्रीमती सरोज सेन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. जिला शहडोल
12	श्री शंकर गोहिया अनुसूचित जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर
13	श्री अरविंद शाह उइके अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर
14	श्री राजाराम मर्सकोले अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह
15	श्री रवि प्रशाद तुमडाम अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य.अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिण्डोरी
16	श्री नारायण अहाके अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह
17	श्री सीताराम भोसुमकर अनुसूचित जन जाति	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर
18	श्री रमेश सिंह यादव	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर

19	श्री सुदामा प्रशाद शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर
20	श्री राजबीर सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड
21	श्री धीर सिंह कुशवाह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड
22	श्रीमती सलमा शाह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार

नोट –

1. पदोन्नत कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच / अपराधिक प्रकरण लंबित हैं या निलंबित हैं तो उसे कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य हैं। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत पदोन्नत कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करावे। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजने के लिये कार्यमुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत् निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया हैं।

(जे.एन.कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2012/ 446-C भोपाल, दिनांक 31/3/201

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

31/3/12

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश